

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001-2015 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

विद्यालय कोड

दूरभाष नम्बर

शैक्षिक सत्र.....के लिए कक्षा.....स्थायी/अस्थायी/विद्यालयों की सम्बद्धता/निरन्तरता
शुल्क हेतु आवेदन पत्र

महोदय,
मैं अपने विद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त करने/निरन्तरता जारी रखने के लिएरुपये बैंक ड्राफ्ट
नं०..... दिनांकबैंक का नाम.....के माध्यम से भेज रहा हूँ।

<p>For office Use Only</p> <p>Regd. Letter No _____</p> <p>Amount of Draft _____</p> <p style="text-align: right;">Signature</p>	<p>Amount _____</p> <p>Board's Fee Receipt No. _____</p> <p>Date of Receipt _____</p> <p style="text-align: right;">Cashier</p>
---	---

1. विद्यालय का नाम एवं पता

2. प्रबन्धक समिति का नाम
(पंजीकरण की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न है)

3. जिला/तहसील व उपमण्डल का नाम जहाँ
स्थित है।

4. मान्यता प्राप्त करने की तिथि
(मान्यता की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न है)

5. पिछले वर्ष कहाँ तक सम्बद्धता प्राप्त की गई

6. किस स्तर तक सम्बद्धता/निरन्तरता हेतु आवेदन
किया जा रहा है।

7. कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या

कक्षा	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विद्यार्थियों की संख्या												

8. किस संकाय की अनुमति है?

कला	कॉमर्स	विज्ञान

9. विद्यालय में कुल कमरे एवं उनका साईज(शिक्षा विभाग के नियमानुसार)

10. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की सूची दूरभाष नम्बर सहित संलग्न करें।

11. विद्यालय की ई-मेल आई.डी.....

12. छात्र-अध्यापक अनुपात.....

13. स्कूल निर्माण स्थल Change OR Not

Continued-2

में बोर्ड द्वारा लगाए गए सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. संस्था द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित, मुद्रित तथा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ही प्रयुक्त की जायेगी। यदि बोर्ड द्वारा कोई पाठ्य पुस्तक प्रकाशित/मुद्रित नहीं है तो केवल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित (Recommended) की गई पुस्तकें ही प्रयुक्त की जायेगी ।
2. संस्था यदि राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से सहायक अनुदान प्राप्त (Grant in aid) नहीं है तो संस्था के मैनेजिंग कमेटी में बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा ।
3. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा ।
4. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी । बोर्ड द्वारा भवन फर्नीचर का किराया नहीं दिया जायेगा ।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल/इम्प्रसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके ।
6. बोर्ड द्वारा बनाये गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढ़ता से पालन करेगी ।
7. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी ।
8. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी/नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
9. बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी प्रकार को संशोधन नहीं करेगी ।
10. विद्यालय में प्रारम्भ से पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं एवं अन्य विद्यालयों से स्थानान्तरित होकर इस विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों के शैक्षिक एवं जन्म तिथि आदि तथ्यों से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यता के लिए संस्था का मुखिया व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा ।
11. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या (1 से 21) के अनुसार किसी भी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जायेगी' नियमों के विरुद्ध तथा फर्जी एस.एल.सी. के आधार पर किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि ऐसा किया जाता है तो बोर्ड को विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने का अधिकार होगा ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना विद्यालय रिकार्ड अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। इस आवेदन पत्र में दर्शाये गये उपरोक्त निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, इन्हें मैं स्वीकार करता/करती हूँ ।

प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक
पूरा नाम दूरभाष सहित

हस्ताक्षर
प्राचार्य/मुख्याध्यापक
विद्यालय की मोहर सहित